



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

(T) 0651-2481909 / (F) 2480413, e-mail : pccf-jhk@gov.in

कार्यालय आदेश संख्या : 11E-19(A)83/2015 - 59

राँची, दिनांक : 16/5/19

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-D.O.F.No. MoEF & CC (NAEB) : 1-2/2018-B-I दिनांक 24.04.2019 के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति में निर्दिष्ट एक तिहाई भू-भाग को वन एवं वृक्षावरण से आच्छादित करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु "वनों से बाहर वृक्षावरण" (Trees Outside Forests, TOF) के क्षेत्र में वृद्धि के लिए चिह्नित Action Points के आधार पर झारखण्ड राज्य के लिए एक "रणनीति" तथा "कार्य योजना" बनाने हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

- | | | | |
|--------|--|---|------------|
| (i) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड | - | सदस्य |
| (iii) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड | - | सदस्य |
| (iv) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक
प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची। | - | सदस्य |
| (v) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना | - | सदस्य |
| (vi) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०डी०ए० | - | सदस्य |
| (vii) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा | - | सदस्य |
| (viii) | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विशेष परियोजनाएं, झारखण्ड। | - | सदस्य सचिव |

उपरोक्त समिति 15 कार्य दिवस के भीतर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। रणनीति एवं कार्य योजना का निर्माण करते समय वन विभाग के पास उपलब्ध वित्त एवं मानव संसाधन का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा ताकि योजना भूतल पर वास्तविक रूप से तत्काल संचालित की जा सके। समिति अन्य विभाग के प्रतिनिधि अथवा विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकती है।

M. M.
15/5/19
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड, राँची।